

पत्रांक-
सेवा में,

25/7-20

/2017-18

दिनांक- 31/05/17

प्रबन्धक,

एम0ए0 सेंट्रल पब्लिक स्कूल शाहगढ़ जमुड़ी,
अजमगढ़।

विषय:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पर्याप्तवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं एम0ए0 सेंट्रल पब्लिक स्कूल शाहगढ़ जमुड़ी, अजमगढ़ को दिनांक-01 जुलाई, 2016 से दिनांक-30 जून, 2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एक0दो0तीस से कक्षा-8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ:-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पर्याप्त मान्यता संबंधन करने के लिए कोई बाधता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करावेगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।
- 5- सौसाहूदी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्वीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूह न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशुल्कता अथवा/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - छात्रापकों की यती अधिनियम की धारा 22 (1) के अधीन कक्षा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यार्थी छात्रापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पाँच वर्ष की आयु के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
 - अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत निर्दिष्ट आने कुर्तियों का पालन करता है और अन्यथा इसके को किसी निजी व्यवसाय/व्यवसायों में नियुक्त नहीं करेगा।
- 7- विद्यार्थी सुनिश्चित प्रविष्टि के साथ अधिकथित मान्यताये भी कायम पर कार्यक्रम का पालन करेगा।

Manager
M.A. Central Public School
Jamuri-Azamgarh

Principal
M.A. Central Public School
Jamuri-Shahgarh, Azamgarh

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के भवनों और सनियमों को बनाने स्वेच्छा :
अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायी निम्नानुसार है-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-बहागार के लिए कम
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई घर
वाथारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
- 9- विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यता कक्षार्थ नहीं चलायी जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और बौध्दिक विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या अलग-अलग प्रपुल किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल की किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के झुण्ड या संघ या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा संप्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या (वर्ग-2017/12) है। कृपया इसे बोट करलें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का संलक्षण करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यक्रमों की क्रियाओं को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- संलग्न न्याय के अनुसार अन्य कोई शर्त-

भवदीय

Nadeem
Manager
M.A. Central Public School
Jamun Azamgarh

R
(प्रमोद कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

- पुस्तक/प्रतिवेदन /2017-18/ तदनुसार
- जिला शिक्षा अधिकारी को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा प्रविष्ट, इलाहाबाद।
 - 2- जिला शिक्षा अधिकारी (विशेष) आजमगढ़ पण्डित आजमगढ़।
 - 3- जिला शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

Ashwini
जिला शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

Principal
M.A. Central Public School
Jamun Shahgarh, Azamgarh